कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि० 3535-पीबीआर-16

निगरानी कमांक /2016

ललीत पिता बंशीलाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम मेलपिपल्या तहसील खातेगॉव
जिला देवास म.प्र.

-------प्रार्थी

श्री नितिन पंकज दुबे, Adv.
द्वारा दिनांक 07.10.16
को प्रस्तुत
[illegible]
7-10-16
50

विरूद्ध

म.प्र. शासन तर्फे पटवारी महोदय
पटवारी हल्का नं.37 खातेगांव.जिला देवास

-------प्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता के तहत

Nitin Dubey

महोदय,

Nitin Pankaj Dubey

प्रार्थी की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय देवास जिला देवास के राजस्व प्रकरण कमांक 07/पुनर्विलोकन/2015—2016 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 09.09.2016 से असंतुष्ट एवं दूखी होकर यह निगरानी आवेदन निम्नानुसार पेश कर निवेदन है कि :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3532–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–9–2016 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला देवास प्रकरण कमांक 06/पुनर्विलोकन/2015–16.

संतोष पिता बंशीलाल
निवासी ग्राम मेलपिपल्या
तहसील खातेगांव जिला देवास ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन तर्फे पटवारी
पटवारी हल्का नं. 37
खातेगांव, जिला देवास ....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला देवास द्वारा पारित आदेश 9–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, खातेगांव द्वारा प्रकरण कमांक 20/अपील/2014–15 में पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–2016 के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला देवास को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 9–9–2016 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ पेशी दिनांक 22–9–2017 को आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा आवेदक को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सुनवाई का

अवसर देने के बाद ही पुनर्विलोकन की अनुमति दी जा सकती है ।

(2) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यदि कोई व्यक्ति व्यथित था तो उसे अपील में चुनौती देना चाहिए थी ।

(3) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी पहलुओं पर विचार कर अपील में आदेश पारित किया गया था और वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किन आधारों पर पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है, उसका कोई उल्लेख कलेक्टर द्वारा आदेश में नहीं किया गया है ।

(4) जिस राजस्व अधिकारी द्वारा मूल आदेश पारित किया जाता है, उसी के द्वारा प्रकरण में पुनर्विलोकन किया जा सकता है, अन्य अधिकारी को पुनर्विलोकन करने के लिए राजस्व मण्डल से अनुमति प्राप्त करना चाहिए । इस प्रावधान को नजरअंदाज कर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 51 में अन्तर्गत कलेक्टर को अपने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने का पूर्ण अधिकार है । जहां तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जा रहा है, अतः आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है, इसलिए कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला देवास द्वारा पारित आदेश 9–9–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 3533–पीबीआर/16 (महेश पिता रामौतार विरूद्ध म.प्र. शासन तर्फे पटवारी), निगरानी 3534–पीबीआर/16 (तेजकुमार पिता कमलसिंह विरूद्ध म.प्र. शासन तर्फे पटवारी) एवं निगरानी 3535–पीबीआर/16 (ललित पिता बंशीलाल विरूद्ध म.प्र. शासन तर्फे पटवारी) पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर